



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275241
CG-DL-E-06082026-275241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4167]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948

No. 4167]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4343(अ).— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के प्रावधान किसी बैंकिंग कंपनी पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक यह 27 अप्रैल, 2026 के परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2026-27/398 के माध्यम से जारी भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण एवं आय निर्धारण) निदेश, 2026 में यथा निर्दिष्ट “प्रभावी ब्याज दर” पद्धति के अंतर्गत आय निर्धारण के कारण गैर-परिशोधित व्यय के निष्पादन से संबंधित है।

[ई फा. सं. 13/22/2026-बीओए-II]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2026

S.O. 4343(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 15 of the said Act shall not apply to a banking company in so far as it relates to the treatment of unamortized expenditure on account of recognition of income under the "Effective Interest Rate" method as specified in the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Asset Classification, Provisioning and Income Recognition) Directions, 2026, issued vide circular number, RBI/DOR/2026-27/398, dated the 27th April, 2026.

[e. F. No. 13/22/2026-BOA-II]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.